इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 303] भोपाल, मंगलवार, दिनांक 9 जुलाई 2013—आषाढ़ 18, शक 1935

विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 9 जुलाई 2013

क्र. 15410-वि.स.-विधान-2013.—मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 64 के उपबंधों के पालन में, मध्यप्रदेश जल विनियमन विधेयक, 2013 (क्रमांक 14 सन् 2013) जो विधान सभा में दिनांक 9 जुलाई, 2013 को पुर:स्थापित हुआ है. जनसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है.

राजकुमार पांडे
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक १४ सन् २०१३

मध्यप्रदेश जल विनियमन विधेयक, २०१३

विषय-सूची.

खण्ड :

अध्याय—एक

प्रारंभिक

१. संक्षिप्त नाम, विस्तार, प्रारंभ तथा लागू होना.
२. परिभाषाएं.

अध्याय—दो

मध्यप्रदेश जल विनियामक आयोग

३. आयोग की स्थापना तथा निगमन.
४. अध्यक्ष (चेयरपर्सन) और सदस्यों की नियुक्ति.
५. चयन समिति का गठन और उसके कृत्य.
६. अध्यक्ष (चेयरपर्सन) तथा सदस्यों की पदावधि.
७. अध्यक्ष (चेयरपर्सन) तथा सदस्यों का पारिश्रमिक.
८. सेवा की शर्तें.
९. आयोग का अध्यक्ष (चेयरपर्सन) और सदस्य होने के लिए अर्हता.
१०. आयोग के अधिकारी तथा कर्मचारी.
११. आयोग की कार्यवाहियां.
१२. रिक्तियों आदि के कारण कार्य अथवा कार्यवाहियों का अविधिमान्य न होना.

अध्याय—तीन

आयोग के कृत्य, कर्तव्य तथा शक्तियां

१३. आयोग के कृत्य तथा कर्तव्य.
१४. आयोग की शक्तियां.
१५. आयोग की साधारण नीतियां.

अध्याय—चार

लेखे, संपरीक्षा और रिपोर्ट

१६. आयोग को अनुदान तथा अग्रिम.
१७. आयोग का बजट.
१८. आयोग के लेखे.
१९. आयोग की वार्षिक रिपोर्ट.

अध्याय—पांच

प्रकीर्ण

२०. सरकार की साधारण शक्तियां.
२१. आयोग के अध्यक्ष (चेयरपर्सन), सदस्य, अधिकारी और अन्य कर्मचारिवृन्द लोक सेवक होंगे.
२२. सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई का संरक्षण.
२३. नियम बनाने की शक्ति.
२४. आयोग की विनियम बनाने की शक्ति.
२५. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति.
२६. अधिकारिता का वर्जन.

अध्याय—छह

व्यावृत्ति

२७. व्यावृत्ति.
२८. निरसन और व्यावृत्ति.

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक १४ सन् २०१३

मध्यप्रदेश जल विनियमन विधेयक, २०१३.

सरकार को जल के टैरिफ और जल के कुशलतापूर्वक उपयोग से संबंधित मामलों में सलाह देने और अन्य प्रयोजनों के लिए राज्य में मध्यप्रदेश जल विनियामक आयोग की स्थापना का उपबंध करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के चौंसठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

अध्याय—एक

प्रारंभिक

संक्षिप्त नाम, विस्तार, प्रारंभ तथा लागू होना.

१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश जल विनियमन अधिनियम, २०१३ है.

(२) इसका विस्तार सम्पूर्ण मध्यप्रदेश राज्य पर है.

(३) यह ऐसी तारीख को प्रवृत्त होगा जिसे कि राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे.

(४) मध्यप्रदेश सिंचाई अधिनियम, १९३१ (क्रमांक ३ सन् १९३१), मध्यप्रदेश सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी अधिनियम, १९९९ (क्रमांक २३ सन् १९९९), मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, १९५६ (क्रमांक २३ सन् १९५६), मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, १९६१ (क्रमांक ३७ सन् १९६१), मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, १९९३ (क्रमांक १ सन् १९९४) और तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी इस अधिनियम के उपबंध जल के टैरिफ के निर्धारण के संबंध में लागू होंगे.

परिभाषाएं.

२. (१) इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) ''अध्यक्ष (चेयरपर्सन)'' से अभिप्रेत है आयोग का अध्यक्ष (चेयरपर्सन);

(ख) ''आयोग'' से अभिप्रेत है धारा ३ की उपधारा (१) के अधीन स्थापित मध्यप्रदेश जल विनियामक आयोग;

(ग) ''सरकार'' से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश सरकार;

(घ) ''सदस्य'' से अभिप्रेत है आयोग का सदस्य;

(ङ) ''विहित'' से अभिप्रेत है इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों या विनियमों द्वारा विहित;

(च) ''विनियम'' से अभिप्रेत है इस अधिनियम के अधीन आयोग द्वारा बनाए गए विनियम;

(छ) ''चयन समिति'' से अभिप्रेत है धारा ५ के अधीन गठित चयन समिति;

(ज) ''सेवा प्रदाता'' से अभिप्रेत है कोई ऐसा व्यक्ति जिसमें निम्नलिखित समस्त या उनमें से किन्हीं सेवाओं को प्रदान करने के लिए सम्यक् रूप से प्राधिकार निहित किया गया हो :—

(एक) जल आपूर्ति प्रणाली का अनुरक्षण तथा संचालन;

(दो) जल वितरण;

(तीन) जल से संबंधित जल प्रभारों तथा राजस्व का संग्रहण;

(चार) सरकार द्वारा सौंपी गई कोई अन्य सेवा;

(झ) ''प्रभार'' से अभिप्रेत है जल आपूर्ति मुहैया कराने के लिए लागू विशिष्ट प्रभार या प्रभारों का समूह.

(२) उन शब्दों और अभिव्यक्तियों के, जो इसमें प्रयुक्त हैं तथा परिभाषित नहीं किए गए हैं, किन्तु जो मध्यप्रदेश सिंचाई अधिनियम, १९३१ (क्रमांक ३ सन् १९३१), मध्यप्रदेश सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी अधिनियम, १९९९ (क्रमांक २३ सन् १९९९), मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, १९५६ (क्रमांक २३ सन् १९५६), मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, १९६१ (क्रमांक ३७ सन् १९६१) तथा मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, १९९३ (क्रमांक १ सन् १९९४) में परिभाषित किए गए हैं, वे ही अर्थ होंगे जो संबंधित अधिनियमों में उनके लिए दिए गए हैं.

अध्याय—दो

मध्यप्रदेश जल विनियामक आयोग

आयोग की स्थापना तथा निगमन.

३. (१) सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, एक आयोग की स्थापना करेगी जो मध्यप्रदेश जल विनियामक आयोग के नाम से जाना जाएगा. आयोग उन शक्तियों का प्रयोग तथा उन कृत्यों तथा कर्तव्यों का पालन करेगा जो कि इस अधिनियम के अधीन उसे सौंपे जाएं.

(२) आयोग, एक पूर्णकालिक अध्यक्ष (चेयरपर्सन) और दो पूर्णकालिक सदस्यों से मिलकर बनेगा.

(३) सरकार द्वारा, आयोग का अध्यक्ष (चेयरपर्सन) और सदस्य धारा ५ के अधीन गठित चयन समिति की सिफारिश पर नियुक्त किए जाएंगे.

(४) आयोग का मुख्यालय भोपाल में होगा.

अध्यक्ष (चेयरपर्सन) और सदस्यों की नियुक्ति.

४. (१) आयोग के अध्यक्ष (चेयरपर्सन) और सदस्यों की अर्हता निम्नानुसार होगी :

(क) अध्यक्ष (चेयरपर्सन) कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो सरकार के प्रमुख सचिव के पद से अनिम्न पद का अधिकारी रह चुका हो और जिसे जल संसाधन के क्षेत्र में नीति निर्धारण और प्रशासन का अनुभव हो;

(ख) एक सदस्य सिविल इंजीनियरिंग का उपाधिधारी ऐसा व्यक्ति होगा जिसे जल संसाधन के क्षेत्र का कम से कम २० वर्ष का अनुभव हो जिसमें किसी भी सरकार के मुख्य अभियंता के रूप में दो वर्ष का अनुभव सम्मिलित है;

(ग) एक सदस्य, नगरीय प्रशासन और विकास के क्षेत्र में विशेषज्ञता रखने वाला कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसे कि जल संसाधन के क्षेत्र में कम से कम तीन वर्ष का अनुभव हो.

(२) आयोग का अध्यक्ष (चेयरपर्सन) और सदस्य लाभ का कोई अन्य पद धारण नहीं करेंगे.

चयन समिति का गठन और उसके कृत्य.

५. (१) आयोग के अध्यक्ष (चेयरपर्सन) और सदस्य सरकार द्वारा निम्नलिखित से मिलकर बनने वाली चयन समिति द्वारा सिफारिश किए गए नामों के पैनल में से नियुक्त किए जाएंगे.

(एक)	मुख्य सचिव	अध्यक्ष
(दो)	कृषि उत्पादन आयुक्त	सदस्य
(तीन)	नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग का भारसाधक सचिव	सदस्य
(चार)	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग का भारसाधक सचिव	सदस्य
(पांच)	जल संसाधन विभाग का भारसाधक सचिव	संयोजक

(२) चयन समिति, सरकार को प्रत्येक रिक्ति के लिए कम से कम दो नामों के पैनल की सिफारिश करेगी.

६. (१) आयोग का अध्यक्ष (चेयरपर्सन) तथा सदस्य तीन वर्ष की कालावधि के लिए पद धारण करेंगे तथा पुनर्नियुक्ति के लिए हकदार होंगे. अध्यक्ष (चेयरपर्सन) तथा सदस्यों की पदावधि.

(२) अध्यक्ष (चेयरपर्सन) या कोई सदस्य ६५ वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने पर पद पर नहीं रह जाएगा.

७. (१) आयोग के अध्यक्ष (चेयरपर्सन) तथा सदस्यों को ऐसे पारिश्रमिक का भुगतान किया जाएगा, जो कि विहित किया जाए. अध्यक्ष (चेयरपर्सन) तथा सदस्यों का पारिश्रमिक.

(२) आयोग के अध्यक्ष (चेयरपर्सन) तथा सदस्यों के पारिश्रमिक तथा सेवा की अन्य शर्तों में उनकी नियुक्ति के पश्चात् उनके अलाभप्रद रूप में कोई फेरफार नहीं किया जाएगा.

८. (१) धारा ६ में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, आयोग का अध्यक्ष (चेयरपर्सन) और सदस्य सरकार को, लिखित में एक मास की सूचना देकर पद त्याग सकेंगे. सेवा की शर्तें.

(२) आयोग का अध्यक्ष (चेयरपर्सन) या सदस्य :

(क) ऐसी तारीख से, जिसको कि वह ऐसे पद पर नहीं रह जाता है, दो वर्ष की कालावधि के लिए, सरकार के अधीन किसी अन्य नियोजन के लिए पात्र नहीं होगा;

(ख) ऐसी तारीख से, जिसको कि वह ऐसे पद पर नहीं रह जाता है, दो वर्ष की कालावधि तक कोई व्यावसायिक नियोजन स्वीकार नहीं करेगा.

स्पष्टीकरण.—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए:

(एक) ''सरकार के अधीन नियोजन'' में मध्यप्रदेश राज्य क्षेत्र के भीतर किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकारी के अधीन या सरकार के नियंत्रण के अधीन या सरकार द्वारा धारित या नियंत्रित किसी निगम या सोसायटी के अधीन नियोजन सम्मिलित है.

(दो) ''व्यावसायिक नियोजन'' से अभिप्रेत है किसी भी हैसियत में नियोजन जिसमें किसी ऐसे क्षेत्र में, जिस पर कि आयोग की अधिकारिता हो या रही हो, व्यापार, व्यवसाय, औद्योगिक या वित्तीय कारबार में लगी हुई किसी एजेन्सी या किसी व्यक्ति के अधीन, कोई नियोजन सम्मिलित है.

९. (१) कोई भी व्यक्ति अध्यक्ष (चेयरपर्सन) या सदस्य के रूप में नियुक्त होने या पद पर बने रहने के लिये अर्ह नहीं होगा, यदि वह : आयोग का अध्यक्ष (चेयरपर्सन) और सदस्य होने के लिए अर्हता.

(क) विकृत चित्त का हो या अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए शारीरिक रूप से अयोग्य हो गया हो;

(ख) अनुन्मोचित दिवालिया हो;

(ग) किसी ऐसे अपराध का सिद्धदोष ठहरा दिया गया हो जिसमें नैतिक अधमता अन्तर्वलित हो;

(घ) ऐसे वित्तीय या अन्य हित रखता हो, जो आयोग के अध्यक्ष (चेयरपर्सन) या सदस्य के रूप में उसके कर्तव्यों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकते हों;

(ङ) अपनी स्थिति का इस प्रकार दुरुपयोग करता है जिससे कि उसका पद पर बना रहना लोक हित पर प्रतिकूल प्रभाव डालता हो;

(च) इस अधिनियम के अधीन दिए गए सरकार के निदेशों की अवहेलना करता हो.

(२) सरकार, विहित की गई प्रक्रिया के अनुसार जांच करने के पश्चात् अध्यक्ष (चेयरपर्सन) या किसी सदस्य को हटा सकेगी.

(३) सरकार, ऐसी जांच की अवधि के दौरान जो कि उपधारा (२) में विनिर्दिष्ट है अध्यक्ष (चेयरपर्सन) और सदस्य को निलंबित कर सकेगी.

आयोग के अधिकारी तथा कर्मचारी.

१०. (१) सरकार, किसी व्यक्ति को, आयोग के सचिव के रूप में नियुक्त करेगी.

(२) आयोग का प्रशासनिक ढांचा, सरकार द्वारा अनुमोदित किए गए अनुसार होगा.

(३) आयोग, अनुमोदित किए गए ढांचे के अनुसार संविदा या प्रतिनियुक्ति पर अधिकारियों और कर्मचारियों को नियुक्त कर सकेगा.

(४) सरकार, आयोग के कार्यकरण के लिए वार्षिक अनुदान उपलब्ध कराएगी.

आयोग की कार्यवाहियां.

११. (१) आयोग, अपने मुख्यालय, भोपाल में सम्मिलन तथा बैठकों का आयोजन करेगा.

(२) आयोग के सम्मिलनों के लिए अध्यक्ष (चेयरपर्सन) तथा एक सदस्य से मिलकर गणपूर्ति होगी.

(३) अध्यक्ष (चेयरपर्सन) की अस्थायी अनुपस्थिति की दशा में आयोग के सम्मिलन की अध्यक्षता करने के लिए सरकार सदस्यों में से किसी एक सदस्य को नामनिर्दिष्ट कर सकेगी.

(४) आयोग के विनिश्चय बहुमत द्वारा किए जाएंगे.

(५) आयोग के समस्त आदेश और विनिश्चय, आयोग के सचिव द्वारा जारी किए जाएंगे.

रिक्तियों आदि के कारण कार्य अथवा कार्यवाहियों का अविधिमान्य न होना.

१२. आयोग का कोई भी कार्य या कार्यवाहियां, केवल इस आधार पर प्रश्नगत नहीं की जाएंगी या अविधिमान्य नहीं होंगी कि आयोग में कोई रिक्ति है.

अध्याय—तीन

आयोग के कृत्य, कर्तव्य तथा शक्तियां

आयोग के कृत्य तथा कर्तव्य.

१३. इस अधिनियम के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, आयोग निम्नलिखित कृत्यों का पालन और कर्तव्यों का निर्वहन करेगा, अर्थात् :—

(क) सरकार को, दो वर्ष में एक बार जल स्रोत जैसे कोई नदी, स्रोत या जल निकासी, प्राकृतिक झील या तालाबों में संग्रहित जल के उपयोग के लिए एक जल टैरिफ प्रणाली और सरकार द्वारा यथा अधिसूचित क्षेत्रों में सतह के नीचे के जल का निम्नलिखित के लिए उपयोग करने की सिफारिश करना :—

(एक) कृषि क्षेत्र ;

(दो) प्रयोजन, जिसमें पीने के लिए और घरेलू, औद्योगिक, ऊर्जा उत्पादन और वाणिज्यिक प्रयोजन सम्मिलित हैं;

(ख) निम्नलिखित के लिए यथाविहित पूंजी और प्रचालन व्यय पर विचार करते हुए किसी सेवा प्रदाता द्वारा जल की आपूर्ति के लिये दो वर्ष में एक बार टैरिफ अवधारित करना और उसकी सिफारिश करना :—

(एक) किसी नगरपालिक सीमा के भीतर का क्षेत्र;

(दो) सरकार द्वारा समय-समय पर यथा अधिसूचित गैर नगरपालिक क्षेत्र;

(ग) सरकार को समय-समय पर सिंचाई, पेयजल और घरेलू, औद्योगिक जल आपूर्ति में दक्षता को प्रोन्नत करने के उपायों की सिफारिश करना;

(घ) सरकार द्वारा आयोग को सौंपे गए किन्हीं अन्य कृत्यों तथा कर्तव्यों का पालन करना.

आयोग की शक्तियां.

१४. (१) इस अधिनियम के अधीन किसी जांच या किन्हीं कार्यवाहियों के प्रयोजन के लिये आयोग को, निम्नलिखित विषयों के संबंध में किसी वाद का विचारण करते समय सिविल प्रक्रिया संहिता, १९०८ (१९०८ का ५) के अधीन सिविल न्यायालय को प्राप्त शक्तियां होंगी :—

(क) किसी सेवा प्रदाता या उसके प्रतिनिधि को समन करना और उसे हाजिर होने हेतु विवश करना और शपथ पर उसका परीक्षण करना ;

(ख) साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किये जाने योग्य किन्हीं दस्तावेजों या अन्य सारवान वस्तुओं का प्रकटीकरण और उन्हें पेश कराया जाना;

(ग) शपथ पर साक्ष्य ग्रहण करना;

(घ) किसी कार्यालय से किसी लोक अभिलेख की अध्यपेक्षा करना;

(ङ) अपने विनिश्चयों, निदेशों और आदेशों का पुनरावलोकन करना; और

(च) कोई अन्य विषय जो सरकार द्वारा आयोग को सौंपे जाएं.

(२) आयोग अपने कृत्यों के निर्वहन में अपेक्षित सहायता देने हेतु समय-समय पर परामर्शदाताओं या विशेषज्ञों की नियुक्ति कर सकेगा. परामर्शदाताओं या विशेषज्ञों की नियुक्ति के निबन्धन तथा शर्तें ऐसी होंगी, जैसी कि विहित की जाएं.

(३) आयोग अपने कृत्यों के निर्वहन में ऐसे व्यक्तियों या व्यक्तियों के वर्ग से, जो आयोग के विनिश्चयों से प्रभावित हों या जिनके उनसे प्रभावित होने की संभावना हो, समय-समय पर परामर्श करने का हकदार होगा.

(४) आयोग ऐसे शुल्क या प्रभार उद्गृहीत कर सकेगा जो कि विहित किए जाएं.

आयोग की साधारण नीतियां.

१५. आयोग, राज्य की जल नीति और सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए नीति विषयक निदेशों के भीतर रहते हुए कार्य करेगा.

अध्याय—चार

लेखे, संपरीक्षा और रिपोर्ट

आयोग को अनुदान तथा अग्रिम.

१६. सरकार आयोग को ऐसे अनुदान तथा अग्रिम उपलब्ध करायेगी जो कि इस अधिनियम के अधीन उसे अपने कर्तव्यों का पालन करने और अपने कृत्यों के निर्वहन के लिये आवश्यक हों और इस प्रकार दिया गया अनुदान तथा अग्रिम ऐसी शर्तों तथा निबंधनों पर होगा जो कि सरकार अवधारित करे.

आयोग का बजट. १७. (१) आयोग, प्रत्येक वित्तीय वर्ष में, ऐसे प्ररूप में और ऐसे समय पर जो कि विहित किया जाए, आगामी वित्तीय वर्ष के लिये बजट तैयार करेगा और उसे सरकार को अग्रेषित करेगा.

(२) आयोग की समस्त राजस्व प्राप्तियां सरकार की संचित निधि में जमा की जाएंगी.

आयोग के लेखे. १८. आयोग, समुचित लेखे तथा अन्य संबंधित अभिलेख संधारित करेगा तथा लेखाओं का एक वार्षिक विवरण, ऐसे प्ररूप तथा ऐसी रीति में तैयार करेगा जो कि विहित की जाए. आयोग के लेखाओं के विवरण की एक प्रति विधान सभा के पटल पर रखी जाएगी.

आयोग की वार्षिक रिपोर्ट. १९. (१) आयोग प्रत्येक वर्ष में एक बार ऐसे प्ररूप में तथा ऐसे समय पर, जो कि विहित किया जाए, पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान की अपनी गतिविधियों का संक्षिप्त विवरण देते हुए, एक वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा और उसे सरकार को प्रस्तुत करेगा.

(२) उपधारा (१) के अधीन प्राप्त रिपोर्ट की प्रति, उसके प्राप्त होने से छह मास के भीतर विधान सभा के पटल पर रखी जाएगी.

अध्याय—पाँच

प्रकीर्ण

सरकार की साधारण शक्तियां. २०. (१) सरकार को राज्य में जल से संबंधित मामलों पर आयोग को नीति विषयक निदेश जारी करने की शक्ति होगी.

(२) यदि इस संबंध में कोई प्रश्न उठता है कि क्या नीति के विषय के किसी ऐसे निदेश में लोकहित अन्तर्ग्रस्त है तो उस पर सरकार का विनिश्चय अंतिम होगा.

आयोग के अध्यक्ष (चेयरपर्सन), सदस्य, अधिकारी और अन्य कर्मचारिवृन्द लोक सेवक होंगे. २१. आयोग के अध्यक्ष (चेयरपर्सन), सदस्य, अधिकारी और अन्य कर्मचारी जबकि वे इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों या विनियमों के किन्हीं उपबन्धों के अनुसरण में कोई कार्य कर रहे हों या उनका वैसा किया जाना तात्पर्यित हो, भारतीय दण्ड संहिता १८६० (१८६० का ४५) की धारा २१ के अर्थ के अंतर्गत लोक सेवक समझे जाएंगे.

सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई का संरक्षण. २२. इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों या विनियमों के उपबंधों के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिये तात्पर्यित किसी बात के लिये सरकार, आयोग, अध्यक्ष (चेयरपर्सन), सदस्यों और अधिकारियों के विरूद्ध, जिसमें आयोग के कर्मचारी सम्मिलित हैं, कोई वाद, अभियोजन अथवा कोई अन्य विधिक कार्यवाही नहीं होगी.

नियम बनाने की शक्ति. २३. (१) सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, और पूर्व प्रकाशन की शर्त के अध्यधीन रहते हुए इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये नियम बना सकेगी.

(२) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम इसके बनाए जाने के पश्चात् यथाशक्यशीघ्र विधानसभा के पटल पर रखा जाएगा.

आयोग की विनियम बनाने की शक्ति. २४. आयोग, सरकार के पूर्व अनुमोदन से, अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिये इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों से संगत विनियम बना सकेगा.

कठिनाईयों को दूर करने की शक्ति. २५. (१) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावशील करने में कोई कठिनाई उद्भूत होती है तो सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा इस अधिनियम के उपबंधों से अनअसंगत ऐसे उपबंध कर सकेगी जो कि कठिनाई को दूर करने के लिये उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों.

(२) उपधारा (१) के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, उसके किये जाने के पश्चात्, यथाशक्यशीघ्र विधानसभा के समक्ष रखा जाएगा.

अधिकारिता का वर्जन. २६. इस अधिनियम के अधीन किया गया कोई आदेश या की गई कोई कार्यवाही अपील योग्य नहीं होगी और किसी भी सिविल न्यायालय को, किसी ऐसे मामले के संबंध में अधिकारिता नहीं होगी, जिसे कि विनिश्चित करने के लिये इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन, आयोग या किसी अन्य प्राधिकारी को सशक्त किया गया हो.

अध्याय—छह

व्यावृत्ति

२७. (१) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, मध्यप्रदेश सिंचाई अधिनियम, १९३१ (क्रमांक ३ सन् १९३१), मध्यप्रदेश सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी अधिनियम, १९९९ (क्रमांक २३ सन् १९९९), मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, १९५६ (क्रमांक २३ सन् १९५६), मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, १९६१ (क्रमांक ३७ सन् १९६१), मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, १९९३ (क्रमांक १ सन् १९९४) तथा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि या उसके अधीन विरचित नियमों में अधिकथित शक्तियां, अधिकार और कृत्य प्रभावित नहीं होंगे तथा वे लागू बने रहेंगे. व्यावृत्ति.

(२) इस अधिनियम के प्रवृत्त होने के पूर्व उपधारा (१) में वर्णित अधिनियमों के अधीन किसी व्यक्ति या प्राधिकारी द्वारा की गई समस्त कार्रवाइयां, जल के टैरिफ के निर्धारण के संबंध में इस अधिनियम द्वारा उक्त अधिनियमों में किए गए उपांतरणों के होते हुए भी विधिमान्य और प्रवर्तनीय होंगी.

२८. (१) मध्यप्रदेश जल विनियमन अध्यादेश, २०१३ (क्रमांक २ सन् २०१३) एतद्द्वारा निरसित किया जाता है.

(२) उक्त अध्यादेश के निरसन के होते हुए, उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई बात या की गई कार्रवाई समझी जाएगी. निरसन और व्यावृत्ति.

उद्देश्यों और कारणों का कथन

१३वें वित्त आयोग में प्रत्येक राज्य में, जल संसाधनों के न्यायसंगत, न्यायोचित और स्थिर प्रबंधन और जल संसाधनों के अधिकतम उपयोग को सुकर बनाने, घरेलू, कृषि और औद्योगिक प्रयोजनों के लिए उपयोग में लाए जाने वाले जल के लिए, जल टैरिफ प्रणाली का अवधारण करने और जल क्षेत्र में आय और व्यय को आवधिक रूप से पुनरीक्षित और मॉनीटर करने के लिए जल विनियामक प्राधिकरण के गठन की सिफारिश की है. सरकार ने सिफारिशों का विस्तार से परीक्षण कर लिया है और जल संसाधनों के स्थिर और वैज्ञानिक प्रबंधन को सुनिश्चित करने के लिए जल विनियामक आयोग के गठन के लिए एक विधि अधिनियमित किए जाने का विनिश्चय किया है.

२. चूंकि, मामला अत्यावश्यक था और मध्यप्रदेश विधान सभा का सत्र चालू नहीं था अतएव, मध्यप्रदेश जल विनियमन अध्यादेश, २०१३ (क्रमांक २ सन् २०१३) इस प्रयोजन के लिए प्रख्यापित किया गया था. अब यह प्रस्तावित है कि उक्त अध्यादेश के स्थान पर राज्य विधान-मण्डल का एक अधिनियम बिना किसी उपांतरण के लाया जाए.

३. अत: यह विधेयक प्रस्तुत है.

भोपाल :
तारीख २६ जून, २०१३.

जयंत मलैया
भारसाधक सदस्य.

''संविधान के अनुच्छेद २०७ के अधीन राज्यपाल द्वारा अनुशंसित.''.

राजकुमार पांडे
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

वित्तीय ज्ञापन

प्रस्तावित मध्यप्रदेश जल विनियमन विधेयक, २०१३ के खण्ड ३ में जल विनियामक आयोग के गठन का प्रस्ताव है. खण्ड ७ में अध्यक्ष तथा सदस्यों के पारिश्रमिक तथा खण्ड १० में आयोग के अधिकारी एवं कर्मचारी की नियुक्ति का प्रावधान है. खण्ड १४(२) में परामर्शदाताओं / विशेषज्ञों की नियुक्ति एवं खण्ड १६ में आयोग को अनुदान तथा अग्रिम दिये जाने संबंधी प्रावधान अंतर्विष्ट हैं.

उपरोक्त प्रावधानों के संदर्भ में आयोग के अध्यक्ष, सदस्यों, अधिकारी एवं कर्मचारियों के वेतन, भत्तों तथा परामर्शदाताओं के मानदेय के लिए राज्य शासन की संचित निधि पर आवर्ती व्यय के रूप में रुपये ७०.०० लाख (रुपये सत्तर लाख) एवं कार्यालयीन अधोसंरचना सुविधा तथा अन्य प्रकार के अनावर्ती व्यय के रूप में रुपये ३०.०० लाख (रुपये तीस लाख) का वित्तीय भार आना संभावित है.

प्रत्यायोजित विधि निर्माण के संबंध में ज्ञापन

प्रस्तावित मध्यप्रदेश जल विनियमन विधेयक, २०१३ के जिन खण्डों द्वारा विधायनी शक्तियां प्रत्यायोजित की जा रही हैं, उनका विवरण निम्नानुसार है :—

खण्ड १(३) विधेयक को प्रवृत्त किये जाने की तारीख अधिसूचित किए जाने;

खण्ड ७(१) आयोग के अध्यक्ष (चेयरपर्सन) तथा सदस्यों के पारिश्रमिक भुगतान किए जाने;

खण्ड ९(२) अध्यक्ष (चेयरपर्सन) या किसी सदस्य के विरुद्ध जाँच प्रक्रिया नियत किए जाने;

खण्ड १३(ख) पूंजी एवं प्रचालन व्यय पर विचार किए जाने;

खण्ड १४(२) परामर्शदाताओं या विशेषज्ञों की नियुक्ति के निबन्धन तथा शर्तें सुनिश्चित करने;

खण्ड १४(४) प्रभार एवं शुल्क उद्ग्रहीत करने;

खण्ड १६ आयोग को अनुदान तथा अग्रिम प्रदान किये जाने संबंधी निबंधन एवं शर्तें विहित करने;

खण्ड १७(१) बजट तैयार करने के प्ररूप और समय निर्धारण की प्रक्रिया नियत किए जाने;

खण्ड १८ लेखाओं का वार्षिक विवरण तैयार करने के प्ररूप एवं रीति सुनिश्चित किए जाने;

खण्ड १९(१) आयोग के पूर्ववर्ती वर्ष की गतिविधियों के विवरण हेतु प्ररूप एवं समय निर्धारण किए जाने;

खण्ड २३(१) अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये नियम बनाये जाने;

खण्ड २४ अधिनियम और उसके अधीन बनाये गये नियमों से संगत विनियम बनाने; तथा

खण्ड २५ अधिनियम के उपबंधों से अनअसंगत उपबंध जो कठिनाई को दूर करने के लिये आवश्यक उपबंध लिये जाने के संबंध में नियम बनाये जायेंगे, जो सामान्य स्वरूप के होंगे.

राजकुमार पांडे
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

अध्यादेश के सम्बन्ध में विवरण

13वें वित्त आयोग की अनुशंसा अंतर्गत जल संसाधनों के न्यायसंगत, न्यायोचित और स्थिर प्रबंधन और जल संसाधनों के अधिकतम उपयोग को सुकर बनाने, घरेलू, कृषि और औद्योगिक प्रयोजनों के लिए उपयोग में लाए जाने वाले जल के लिए, जल टैरिफ प्रणाली का अवधारण करने और जल क्षेत्र में आय और व्यय को आवधिक रूप से पुनरीक्षित और मॉनीटर करने के लिए जल विनियामक प्राधिकरण का गठन किया जा रहा है. जल संसाधनों के स्थिर और वैज्ञानिक प्रबंधन को सुनिश्चित करने के लिए जल विनियामक आयोग के गठन के लिए एक विधि अधिनियमित किया जाना आवश्यक था.

२. चूंकि, मामला अत्यावश्यक था और मध्यप्रदेश विधान सभा का सत्र चालू नहीं था. अतएव, मध्यप्रदेश जल विनियमन अध्यादेश, २०१३ (क्रमांक २ सन् २०१३) इस प्रयोजन के लिए प्रख्यापित किया गया था.

राजकुमार पांडे
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2013.